न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 70/2023(GCMS : 2023/98)

1. **पन्नाराम पुत्र श्री सन्तराम**
2. **रामदयाल पुत्र श्री पन्नाराम**

अकवाम स्वामी साकिन रोटांवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

--- **प्रार्थीगण**

बनाम

1. **सुखवीर सिंह पुत्र** श्री पुरखाराम जाति यादव साकिन नाथावाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

--- **अप्रार्थी**

08.08.2023

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मदन यादव उपस्थिति हुए। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री मदन यादव ने कथन किया कि प्रार्थी ने यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में अन्तर्गत धारा 251–ए आर.टी.ए. के विचाराधीन प्रकरण अनवानी सुखवीर सिह बनाम पन्नाराम आदि में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर अन्यत्र स्थानान्तरण करने की प्रार्थना की थी किन्तु अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिय यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इसे खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री प्रेम प्रकाश मक्कड़ ने कथन किया कि अगर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण होने के आधार पर उनका मुंतकिली प्रार्थना खारिज किया जाता है, उन्हें कोई एतराज नहीं है।

मैनें, उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर से प्राप्त टिप्पणी एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 45/2021 अनवानी सुखवीर सिंह बनाम पन्नाराम आदि अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:57 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.08.22 17:02:57 IST
Reason: SelfAttested